रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02092025-265888
**CG-DL-W-02092025-265888**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**साप्ताहिक**
**WEEKLY**

**सं. 28]** **नई दिल्ली, अगस्त 10—अगस्त 16, 2025, शनिवार/ श्रावण 19—श्रावण 25, 1947**

**No. 28]** **NEW DELHI, AUGUST 10— AUGUST 16, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 19— SHRAVANA 25, 1947**

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके**
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं**
**Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India**
**(Other than the Ministry of Defence)**

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

**सा.का.नि. 128**.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ग' के योधक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से है, और असम राइफल्स (समूह 'ख' योधक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से हैं, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम 2025 है।

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

**सा.का.नि. 134.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल में मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.–** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| **पद का नाम।** | **पद की संख्या।** | **वर्गीकरण।** | **वेतन मैट्रिक्स में स्तर।** | **चयन या अचयन पद।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट। | (1)* 2025 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये)। | चयन | लागू नहीं होता। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है)। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में ऐसे उप मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और सुसंगत क्षेत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।<br>**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:-<br>(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या<br>(ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो, और;<br>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी क्षेत्र में भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर की डिग्री<br>(ii) के साथ कम से कम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में क्लीनिकल पद को धारण करने में तीन वर्ष का अनुभव ।<br>**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र | समूह क 'विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित सम्मलित होंगे:<br>1. अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य -अध्यक्ष;<br>2. महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;<br>3. उप महानिदेशक (योजना), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य;<br>4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल – सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| नहीं होंगे।<br>**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य-पद है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

[फा. सं. ए.12018/24/2024-एमएच-।।]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 7th August, 2025

**G.S.R. 134.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Chief Physiotherapist, in Safdarjung Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

**1. Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Chief Physiotherapist, (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.–** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether Selection or non selection post.** |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| Chief Physiotherapist | 1* (2025)<br><br>* Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Level – 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200). | Selection. |

| **Age-limit for Direct Recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.** |
|---|---|---|
| **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** | **In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made** |
|---|---|---|
| **(9)** | **(10)** | **(11)** |
| Not applicable. | Promotion, failing which by deputation (including short-term contract). | **Promotion :** Deputy Chief Physiotherapist with five years' regular service in the grade in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) and having successfully completed mandatory training of two weeks in the relevant filed as prescribed by the Central Government.<br><br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**Deputation (including short term contract) :** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions:<br><br>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or<br><br>(ii) with five year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) in the parent cadre or department, and;<br><br>(b) possessing the following educational qualifications and experience:<br><br>(i) Masters Degree in Physiotherapy in any branch from a recognised university or institute;<br><br>(ii) three years' practical experience of holding clinical post in at least fifty bedded hospital.<br><br>**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br><br>**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application. |

| **If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.** | **Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| Group 'A' Departmental promotion Committee (for considering promotion):<br>1. Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman;<br>2. Director General of Health Services or Additional Director General of Health Services, Directorate General of Health Services - Member;<br>3. Deputy Director General (Planning), Directorate General of Health Services - Member;<br>4. Head of Department (concerned), Safdarjung Hospital - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is necessary. |

[F. No. A.12018/24/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

---

## पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

## (राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

**सा.का.नि. 135.**—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21), धारा 70, उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) घोषणा करता है कि मिहिर, हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम (एचपीसी ;जो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संरक्षित सिस्टम है) इससे संबंधित सूचना राष्ट्रीय मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान केंद्र (रा. म. अ. मौ. पू. के.) पर निर्भर करती है तथा निम्नलिखित कर्मियों को संरक्षित सिस्टम तक पहुंचने के लिए अधिकृत करती है, नामतः

क) राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (रा. म. अ. मौ. पू. के. ) का कोई भी नामित कर्मचारी संरक्षित सिस्टम तक पहुंचने के लिए प्रमुख, रा. म. अ. मौ. पू. के. द्वारा लिखित रूप से अधिकृत है;

ख) अनुबंध प्रबंधित सेवा प्रदाता या तीसरे पक्ष के विक्रेता का कोई भी टीम सदस्य जिसे आवश्यकता-आधारित पहुंच के लिए प्रमुख, रा. म. अ. मौ. पू. के. द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया है;

ग) मामले-दर-मामले के आधार पर प्रमुख, रा. म. अ. मौ. पू. के. द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई भी सलाहकार, नियामक, सरकारी अधिकारी, लेखा परीक्षक व हितधारक; और

घ) कोई भी अतिथि छात्र और शोध विद्यार्थी जो मामले-दर-मामले आधार पर प्रमुख, रा. म. अ. मौ. पू. के. द्वारा लिखित रूप में अधिकृत हैं।

2. अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से लागू होगी।

[फा. सं. B-12020/1/2023-Estt (ई-फाइल -428)]

वी.एस. प्रसाद, प्रमुख

## MINISTRY OF EARTH SCIENCES

## (National Centre for Medium Range Weather Forecasting)

New Delhi, the 12th August, 2025

**G.S.R. 135.**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Ministry of Earth Sciences (MoES) hereby declares the MIHIR, High Power Computing System (HPC) system and it's associated information infrastructure dependencies of the